

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक :: 10 जून, 2026

अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर,
मेरठ, वाराणसी जोन-द्वितीय,
कानपुर-द्वितीय, इटावा ।

कृपया सूची में अंकित आपके जोन से सम्बन्धित प्रकरणों का अवलोकन करना चाहें, जो मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित है तथा जिनका निस्तारण किये जाने हेतु प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किया गया था, प्रकरणों का परीक्षण करने पर कालम संख्या-5 में अंकित आपत्तियों प्रकाश में आयी है :-

क्र०सं०	जोन का नाम	मृतक/व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु दिनांक	आपत्ति
1	वाराणसी	स्व० श्री धर्मेन्द्र कुमार	सर्वश्री डी०एस०बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड सप्लायर्स, सोनभद्र	10-08-2024	प्रश्नगत प्रकरण में विलम्ब के सम्बन्ध में कोई भी संस्तुति प्रेषित नहीं की गयी है ।
2	वाराणसी	स्व० श्री राजकुमार सिंह कुशवाहा	सर्वश्री प्रिया इण्टरप्राइजेज, वाराणसी	22-01-2026	प्रश्नगत प्रकरण में कोई भी प्रपत्र आनलाइन माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरणों में दावेदार से स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का ससमय निस्तारण किया जा सके ।
उक्त पत्र आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(धनञ्जय शुक्ला)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1- संयुक्त आयुक्त(कार्य०), राज्य कर, मिर्जापुर एवं वाराणसी-बी।

2- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।



अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।